न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.99 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 151)	18.09.2024	29.07.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. मथुरा पुत्र मांगू जाति राव निवासी कछालिया, तहसील तालेडा
(**मृतक** जर्ये कायम मुकामान) :—
1 / 1.गोमा पुत्र स्व.मथुरा जाति राव निवासी कछालिया, तह. तालेडा
1 / 2.राजू पुत्र स्व.मथुरा जाति राव निवासी कछालिया, तह. तालेडा
1 / 3.जगदीश पुत्र स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
1 / 4.बहादूर पुत्र स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
1 / 5.गौरू पुत्र स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
(अविवाहित फोत हो जाने से नाम विलोपित)
1 / 6.गीता पुत्री स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
1 / 7.साबुड़ी पुत्री स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
1 / 8.शान्ती पुत्री स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
1 / 9.दाखी पुत्री स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
1 / 10गुजी बेवा स्व.मथुरा जाति राव नि0 कछालिया, तह. तालेडा
(मृतक के वारिसान 1 / 1 से 1 / 8 पक्षकार होने से नाम विलोपित)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मथरा आ. मांगू राव को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 647/803 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाकेग्राम कछालिया आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 99/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/151 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 25.06.2025 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि में से खसरा संख्या 647/803 पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त खसरा नम्बर का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि मथरा आ. मांगू जाति राव निवासी कछाल्या को दिनांक 26.11.1975 को भूमि खसरा सं. 435 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा सं. 647 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम कछालिया का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 435 रकबा 1.2060 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 647/803 रकबा 0.8094 हैक्टेयर पर आवंटी मथुरा पुत्र मांगू जाति राव गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि में से खसरा सं. 647/803 रकबा 0.8094 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त नहीं है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त खसरे की भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मथुरा आ.मांगू जाति राव निवासी कछालिया को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 26.11.1975 खसरा सं. 435 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा (हाल रकबा 1.2060 हैक्टेयर) बहाल रखते हुये शेष भूमि का आवंटन खसरा संख्या 647/803 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाकेग्राम कछालिया एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नं. 647/803 की भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी